न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 140/12 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. जगवती पुत्री मानसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मतलवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर ।

:——— अपीलांटा

वनाम

1. रूपसिंह पुत्र जयदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम मतलवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर ।
2. देशराज पुत्र जयदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम मतलवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर ।
3. जगदीश कुमार पुत्र हरिसिंह निवासी ग्राम मतलवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर ।
4. रामफल पुत्र हरिसिंह निवासी ग्राम मतलवास तहसील कोटकासिम
5. फूलसिंह पुत्र निर्भय जाति अहीर निवासी ग्राम मतलवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर (मृतक)

5/1. शांति पत्नि फूलसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मतलवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर ।

5/2. देवदत्त पुत्र फूलसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मतलवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

5/3. सतीश पुत्र फूलसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मतलवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर

5/4. सुभाष पुत्र फूलसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मतलवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर

5/5. रमेश पुत्र फूलसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मतलवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर

5/6. कमलेश पुत्र फूलसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मतलवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर ।

5/7. शकुन्तला पुत्री फूलसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मतलवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर ।

6. रामसिंह पुत्र निर्भय जाति अहीर निवासी ग्राम मतलवास तह0 कोटकासिम जिला अलवर ।

7. नरेश कुमार पुत्र प्यारेलाल जाति अहीर निवासी ग्राम मतलवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर ।

8. सुरेश चन्द पुत्र प्यारेलाल जाति अहीर निवासी मतलवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर । (मृतक)

8/1. चमेली बेवा सुरेश चन्द जाति अहीर

8/2. यतीन पुत्र सुरेशच'न्द जाति अहीर

8/3. प्रवीण पुत्र सुरेश चन्द जाति अहीर

8/4. प्रिया पुत्री सुरेश चन्द जाति अहीर

निवीसयान ग्राम मतलवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:———— रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिनियम एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,

कोटकासिम दिनांक 22.8.2012

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री रामसिंह यादव

2. वकील रेसपो0 :– श्री अमरसिंह यादव

निर्णय दिनांक 22.12.2016

---

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा 84/2005 उनवान जगवती बनाम रूपसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 22.8.2012 के विरूद्ध है,जिसके द्वारा वादनी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादनी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 17/0.07, 48/0.22, 116/0.08, 125/0.15, 129/0.68, 133/0.54, 138/0.08, 139/0.04, 140/0.04, 153/0.16, 161/0.37, 177/0.32, 198/0.19, 199/0.38, 206/0.36, 215/0.34, 285/0.28, 312/0.44, 325/0.37, 404/0.19, 480/0.15, 560/0.27, 562/0.38, 625/0.15, 655/0.04 किता 25 रकबा 6.29 हेक्टेयर वाके ग्राम मतलवास तहसील कोटकासिम का 1/6 भाग वादिया के पिता मानसिंह पुत्र निर्भय की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है । मानसिंह का देहान्त हो चुका है तथा वादिया एक मात्र जायज वारिस है । परन्तु ग्राम पंचायत ने मनमाने तरीके से इस आराजी का इन्तकाल रूपसिंह वगैरा के नाम बाला बाला दर्ज कर दिया । आराजी पर कब्जा वादिया का ही चला आ रहा है । अतः दावा डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा वाद पत्र खारिज किया है,जिसकी यह अपील है ।

3. बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विरासत का इन्तकाल वादिया के पक्ष में दर्ज करना चाहिये था, परन्तु ग्राम पंचायत ने बाला बाला मुझे सुनवाई का अवसर दिये बिना रूपसिंह वगैरा के नाम दर्ज कर दिया । इसकी अपील मैंने की थी, जो अदम हाजरी में खारिज हो गई । इन्तकाल की कार्यवाही एक फिसकल कार्यवाही होती है,जिसमें पक्षकारों के स्वत्व का निर्धारण नहीं होता है, इसलिये मैंने दावा पेश किया था । मैंने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित कराया है । विद्वान तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में यह गलत रूप से दर्ज किया है कि इन्तकाल दर्ज कराने में मेरी सहमति थी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

। मैंने कोई सहमति नहीं दी थी । विद्वान तहत न्यायालय ने वाद पत्र को मियाद बाहर माना है । जबकि घोषणा के वाद की कोई मियाद नहीं होती है । उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विवादित भूमि में मेरा हक निहित है । इस प्रकार की कृषि भूमि पर एडवर्स पजेशन लागू नहीं होता है । आदेश 15 नियम 02 सी0 पी0 सी0 के अनुसार वाद पत्र डिकी करना चाहिये था, क्योंकि केवल प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 एवं 06 ने ही जवाब दावा पेश किया है, शेष ने जवाब दावा पेश नहीं किया था । ग्राम पंचायत ने इन्तकाल नम्बर 105 अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रूपसिंह वगैरा ने नाम दर्ज कर दिया गया । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित नजीरें पेश की :–

1. राज0 काश्तकारी अधिनियम के शिडयूल 3 के कमांक 23 सी
2. ए0आई0आर0 2015 राज0 179 पूर्ण पीठ
3. 2011 (2) आर0 आर0 टी0 721 पूर्ण पीठ
4. 1960 राज0 रेवेण्यू डिसिजन्स पेज 80
5. ए0आई0आर0 1954 सुप्रीम कोर्ट पेज 340
6. 1961 आर0 आर0 डी0 पेज 24
7. 2001 आर0 आर0 डी0 पेज 327

4. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि स्वयं वादिया अपीलांटा ने हमारे हक में हक त्याग कर दिया था, इसी कारण हमारे हक में इन्तकाल दर्ज हुआ था । विवादित भूमि पर वादिया अपीलांटा का कब्जा नहीं है । बिना कब्जे के उसे दावा लाने का अधिकार नहीं है, जैसा कि 1999 आर0 आर0 डी0 पेज 143 के पैरा नम्बर 07 में अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक कोई व्यक्ति आराजी पर काबिज नहीं हो, वह खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी नहीं है । जिस समय वर्ष 1998 में हमारे पक्ष में इन्तकाल की कार्यवाही हुई थी, उसी समय वादिया अपीलांटा को समस्त तथ्यों की जानकारी हो गई थी । इसके बावजूद उसने मियाद बाहर दावा पेश किया है । आर0 एल0 डब्ल्यू0 2008 पार्ट–1 राज0 पेज 38 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि यदि कोई वाद परिसीमा की अवधि के अवसान के पश्चात दायर किया गया हो तो किसी भी न्यायालय को उसे ग्रहण करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं होती है । इनके पास कब्जा नहीं है, ना ही इन्होंने कब्जा बाबत कोई दावा पेश किया गया है । कब्जे बाबत दावा नहीं करने के कारण इनका वाद डिफेक्टिव है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर0 एल0 डब्ल्यू0 2006 पार्ट–2

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

राज0 पेज 692 में प्रतिपादित किया गया है कि pending litigation doesnot postpone running a limitation as possession was not claimed by plaintiff in that suit. 1989 आर0 आर0 डी0 पेज 150 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 64 उप धारा 4 की व्याख्या करते हुये अभिनिर्धारित किया गया है कि मियाद के अवसान होने एवं बिना कब्जे के घोषणा का वाद नहीं चल सकता । प्रतिवादी संख्या 07 ने प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में रिलीज की हुई है, जिसे वादिया ने वाद पत्र में चैलेन्ज नहीं किया है । जब वादिया अपीलांटा ने हमारे हक में तक त्याग कर ही दिया था और इन्तकाल हमारे नाम दर्ज हो चुका है तो अब वह किसी प्रकार का अनुतोष पाने की अधिकारिणी नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित नजीरों का हवाला दिया :–

1. आर0 एल0 डब्ल्यू0 2008 पार्ट–1 राज0 पेज 38
2. आर0 एल0 डब्ल्यू0 2006 पार्ट–2 राज0 पेज 873
3. सैक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट
4. धारा 113 लिमिटेशन एक्ट
5. ए0आई0आर0 1961 पेज 808 एस0 सी0
6. ए0आई0आर0 1960 पेज 335 एस0 सी0
7. आर0 एल0 डब्ल्यू0 2006 राज0 पेज 692 एस0सी0
8. 1989 आर0 आर0. डी0 पेज 150
9. 2004 आर0 आर0 डी0 354 पैरा 48 एच0 सी0
10. 1999 आर0 आर0 डी0 पेज 143 पैरा नम्बर 07
11. आर0 आर0 टी0 2011 पार्ट–2 पेज 1170
12. सैक्शन 64 (4) राजस्थान टिनेंसी एक्ट

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । वादिया अपीलांटा ने मुख्य रूप से इस तथ्य पर जोर दिया है कि विवादित भूमि उसके पिता मानसिंह की थी, जिस पर गलत रूप से रूपसिंह वगैरा के नाम इन्तकाल नम्बर 105 दर्ज कर दिया, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1/6 भाग वादिया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपीलांटा को मिलना चाहिये । इसके विपरीत प्रतिवादीगण रेस्पो0 का कथन है कि स्वयं वादिया अपीलांटा ने उनके हक में स्वेच्छा से हक त्याग कर दिया था, जिसके आधार पर उनके पक्ष में इन्तकाल दर्ज हो चुका है । विद्वान वकील रेस्पो0 प्रतिवादी ने बार बार इस तथ्य पर भी जोर दिया है कि वादिया अपीलांटा का आराजी पर कोई कब्जा नहीं है, बिना कब्जे के घोषणा का वाद नहीं लाया जा सकता, हम इन तर्कों से कतई सहमत नहीं है, क्योंकि वाद कब्जे के आधार पर घोषणा हेतु नहीं लाया गया है । आराजी पारिवारिक है और वादिया अपीलांटा परिवार की सदस्य होने के नाते अपना हक मांग रहीं है, इसलिये रेस्पो0 द्वारा इस सम्बन्ध में जो नजीरें पेश की गई हैं, वे इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है । वाद एडवर्स पजेशन के आधार पर पेश नहीं किया गया है, जहां कब्जे का बिन्दू अहम हो । एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते, जैसा कि राजस्थान रेवेण्यू टाईम्स 2011 पार्ट–2 पेज 721 में अभिनिर्धारित किया है । इसी प्रकार विद्वान वकील अपीलांट वादिया द्वारा पेश नजीर ए0 आई0 आर0 2015 राजस्थान 193 में प्रतिपादित किया गया है कि The Rajasthan Tenancy Act. 1955 provides the limitation for bringing an action for dispossession and thus, the principle of law relating to adverse possession and the action to be brought within the period specified in secuin 27 of Limitation Act will not apply to the khatedars under the Rajasthan Tenancy Act, 1955. इस नजीर में आगे प्रतिपादित किया गया है कि We, therefore, decide the question No.o4 in favour of the state and hold that no person can acquire right by adverse possession in the lands which were resumed or are in the tenancy of the tenants as khatedars. The limitation applicable under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 for filing suit for possession against the trespasser will be applicable. The Rajasthan Tenancy Act being a Special Act, will prevail and the provisions of Section 27 of the Limition Act will not apply for claiming adverse possession on such land. विद्वान वकील रेस्पो0 ने इस तथ्य पर भी जोर दिया है कि वाद मियाद बाहर पेश किया गया है, घोषणा के लिये वाद की मियाद 12 वर्ष होती है । हम विद्वान वकील रेस्पो0 के इस कथन से भी कतई सहमत नहीं है, क्योंकि चूंकि भूमि पारिवारिक है और वादिया अपीलांट पारिवारिक भूमि में अपना हिस्सा क्लेम कर रही है, न कि कब्जे के आधार पर घोषणा चाह रही है, इसलिये इस प्रकरण पर रेस्पो0 द्वारा पेश नजीरें लागू न होकर अपीलांट की नजीरें लागू होती हैं, जिनमें अभिनिर्धारित किया गया है कि घोषणा के वाद की कोई मियाद नहीं होती है ।

Scanned by CamScanner

6. वादिया अपीलांटा अपने आपको मानसिंह की एक मात्र जायज वारिस बताकर उसकी आराजी में अपना हिस्सा क्लेम कर रही है तो दूसरी तरफ प्रतिवादी रेस्पो0 का कथन है कि वादिया अपीलांटा ने स्वेच्छा से उसके पक्ष में हक त्याग कर दिया था, जिसके आधार पर उसके पक्ष में इन्तकाल दर्ज हुआ है । अतः यह जांच का विषय हो जाता है कि वादिया अपीलांटा ने स्वेच्छा से हक त्याग किया था अथवा नहीं । अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम प्रकरण में वांछित जांच कर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर न्यायसंगत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.8.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो प्रकरण में वांछित जांच कर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 16.1.2017 को उपस्थित हों ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner